आवास का सपना हुआ साकार, जनसुनवाई में 37 पट्टे जारी किए गए आवासन आयुक्त ने किया आमजन की समस्याओं का निस्तारण जनसुनवाई कार्यक्रम में लगभग 250 फरियादियों की हुई सुनवाई

जयपुर,10 मार्च। प्रताप नगर के आवंटियों के चेहरे उस वक्त खिल गए जब उनके आशियाने के मालिकाना हक का इंतजार खत्म हुआ। आवासन आयुक्त श्री इंद्रजीत सिंह ने जनसुनवाई के दौरान मण्डल नियमों के तहत पट्टे जारी करने की मंजूरी प्रदान की है। जिसके बाद अब वहां के बाशिंदों को पट्टे के रूप में अपने आशियाने का मालिकाना हक मिल सकेगा। जनसुनवाई के दौरान आवेदकों के बैठने व जलपान की व्यवस्था भी की गई थी जिस पर आवेदकों ने संतोष व्यक्त किया।

जनभावना के अनुरूप पारदर्शी एवं संवेदनशील वातावरण में आमजन की परिवेदनाओं एवं समस्याओं की सुनवाई एवं त्वरित समाधान के लिए वृत्त कार्यालय प्रताप नगर में रविवार को जनसुनवाई कार्यक्रम आयोजित हुआ। जिसमें आवासन आयुक्त सहित अन्य अधिकारियों ने लगभग 250 फरियादियों के परिवाद सुने, जिनमें से 90 प्रकरणों का निस्तारण मौके पर ही कर दिया गया। अन्य प्रकरणों के 7 दिवस में निस्तारण के लिए आयुक्त ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिये। गौरतलब है की जनसुनवाई में बकाया राशि के प्रकरण,आवंटन पत्र जारी करना, कब्जा पत्र जारी करना,रिफ़ंड,अदेय प्रमाण पत्र,पंजीयन पश्चात नाम हस्तांतरण,मृत्यु पश्चात नाम हस्तांतरण,पंजीयन प्रपत्र जारी करना,पट्टा जारी करने,एकमुश्त लीज़ मुक्ति प्रमाण पत्र जारी करना,मकानों के नियमितीकरण, कॉलोनियो का नियमन,मण्डल की भूमि से अतिक्रमण हटाने आदि समस्यों का निस्तारण भी किया गया। जनसुनवाई में आवासन मण्डल सचिव श्री प्रवीण कुमार अग्रवाल, मुख्य अभियंता श्री मनोज गुप्ता ,उप आवासन आयुक्त श्री भगवान सहाय, विशेषाधिकारी श्रीमति प्रियंका राठौर सहित अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद रहे।

———

कुणाल वशिष्ठ/आशुतोष अवाना